रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 162] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 3, 1969/आश्विन 11, 1891
No. 162] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 1969/ASVINA 11, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October 1969

G.S.R. 2366.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service in the Food Corporation of India, established under the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), would prejudicially affect the maintenance of supplies and services necessary for the life of the community and would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares the service in the Food Corporation of India to be an essential service for the purposes of the said Act.

2. This notification shall have effect from the 5th October, 1969

[No. F. 10-25/69-FCC-]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1969

सा० का० नि० 2367 —आवश्यक सेवाएं बनाए रखना अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपनी यह राय होने के कारण कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) केअधीन स्थापित, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की किसी सेवा में हड़तालों का जनसमुदाय के जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणाम स्वरुप जनसमुदाय को बड़ी कठिनाइयां होंगी, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा आवश्यक सेवा घोषित करती है।

2. यह अधिसूचना 5 अक्तूबर, 1969 से प्रवृत्त हो जाएगी।

[सं० फा० 10–25/69–एफ०सी०सी०]

आर० बालसुब्रमण्यन,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969